यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-III, राज्यकर, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-III, राज्यकर, हरिद्वार के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार, एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.05.2018 से 07.06.2018 तक श्री एन.के. सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार, एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 27.05.2017 से 05.06.2017 तक श्री एन.के.सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	15926.58
2016-17	24002.06
2017-18	10182.08 (GST को छोड़कर)

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)	व्यय राशि (₹)	अवशेष/समर्पण (₹)
2015-16			
2016-17	लागू नहीं है।		
2017-18			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डिप्टी- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **ओटोपार्टस** को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-III, राज्यकर, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: ------- को विस्तृत जांच (राजस्व प्राप्ति) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग – 2 (ब)

प्रस्तर –01 कर का न्यूनारोपण ` 5.80 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(ii) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुसुची-III में सम्मिलित विशेष प्रवर्ग के माल 'लुब्रिकेंट' के सम्बन्ध में विनिर्माता या आयातकर्ता के द्वारा विक्रय किये जाने पर 20% की करदेयता निर्धारित की गई है|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(e) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसुची में सम्मिलित माल से भिन्न माल की बिक्री पर करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गयी थी|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कoनिo) –III राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री केo डीo ट्रेडिंग कंपनी, हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2014-15 द्वारा संगत वर्ष में निम्नांकित वस्तुओ कीकुल ` 67,96,713/- की बिक्री की गयी थी|

क्र सं	वास्तु का नाम	बिक्रय की धनराशी	आरोपित कर की दर	आरोपित कर (`)	वास्तविक कर की दर	अन्तरीय कर (`)
1.	लुब्रिकेंट	188522	13.5%	25450	20%	12254
		95453	5%	4773	20%	14318
2.	टेप	2776704	5%	138835	13.5%	236020
3.	सेफटी ग्लव्स	1500985	5%	75049	13.5%	127584
4.	कटिंग टूल्स	303152	5%	15158	13.5%	25768
5.	ट्राली व्हील्स	384877	5%	19244	13.5%	32714
6.	अब्रेसिव	1547020	5%	77351	13.5%	131497
		6796713				**580155**

इस प्रकार उपरोक्त वस्तुओ की कुल बिक्री `67,96,713/- पर अन्तरीय दर से `5,80,155/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था जिस पर नियामानुसार ब्याज भी देय होगा।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार जाँच किये जाने का आश्वसान दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

प्रकरण शासन / उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

भाग 2 (ब)

प्रस्तर सं-02 अपंजीकृत व्योव्हारी को केन्द्रीय फॉर्म – C के विरुद्ध रियायती दर पर माल के विक्रय के कारण कर का न्यूनारोपण ` 13.08 लाख|

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 8(1) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय फॉर्म – C के विरुद्ध पंजीकृत व्योव्हारी को माल के विक्रय पर रियायती दर से कर आरोपणीय होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कo निo) -03 राज्य कर हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि व्योव्हारी सर्वश्री राणा ग्लोबल लिo, हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के वाद में व्योव्हारी द्वारा संलग्न सूची में दिए गये विवरण के अनुसार दो क्रेता व्योव्हारीयो को संगत वर्ष में फॉर्म – C के विरुद्ध कुल `4,36,18,187/- के आयरन एवं स्टील की बिक्री की गयी थी| उपरोक्त व्योव्हारियो के पंजीयन की जाँच में यह पाया गया कि इन व्योव्हारियो का पंजीयन निरस्त (cancelled) कर दिया गया था|

इस प्रकार विक्रेता व्योव्हारी द्वारा अपंजीकृत व्योव्हारीयो को केन्द्रीय फॉर्म – C के विरुद्ध कुल `4,36,18,187/-के आयरन एवं स्टील की अनियमित बिक्री रियायती दर से किये जाने के कारण 3% के अन्तरीय दर (4% - 1%) से ` 13,68,546/- के कर का न्युनारोपण हुआ|

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार जाँच किये जाने का आश्वसान दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

प्रकरण शासन / उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

फॉर्म – C के विरुद्ध विक्रय का विवरण

क्रं सं	क्रेता व्योव्हारी का नाम एवं पंजीयन संख्या	प्रस्तुत फॉर्म – c संख्या	धनराशि (`)
01.	सर्वश्री देवांश इंटरप्राइजेज उ.प 09672805229	3594876 U.P	2,80,33,874/-
02.	सर्वश्री सागर शेली सेल्स Delhi07420380384	17p 018212 Delhi	1,15,84,313/-

कुल	**4,36,18,187/-**

<u>भाग 2(ब)</u>

प्रस्तर स-03 अर्थदण्ड का अनारोपण `8.95 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्योवाहरी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –III राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 02 व्यापारियो द्वारा विभिन माहों में देय कर की कुल राशि `**89**,**57**,**802**/- को विलंब से जमा किया गया था|

(विवरण संलग्न)

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से नियामानुसार `**895780**/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी से युक्ति युक्त कारण जाना जायेगा एवं लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा|

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

क्र स.	व्योव्हारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की तिथि	कर की धनराशि (`)	आरोपणीय अर्थदण्ड (`)
1.	**सर्वश्री अक्षय एल्युमीनियम एलाय प्राइवेट लिमिटेड, हरिद्वार**	**2014-15**	04/2014	22.05.2014	1235823	123582.3
			05/2014	25.06.2014	1514040	151404.0
			06/2014	23.07.2014	1348307	134830.7
			07/2014	25.08.2014	735212	73521.2
			08/2014	22.09.2014	1212370	121237.0
			11/2014	27.12.2014	700699	70069.9
			12/2014	21.01.2015	966098	96609.8
			01/2015	23.02.2015	454963	45496.3
			03/2015	22.04.2015	351889	35188.9
			03/2015	22.12.2015	16765	1676.5
2.	**सर्वश्री हिल्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार**	**2011-12**	Q1(Apr-Jun)	17.08.2011	96047	9604.7
			Q1(Apr-Jun)	07.09.2011	55450	5545.0
			Q1(Apr-Jun)	13.12.2011	109089	10908.9
			Q1(Apr-Jun)	10.01.2012	161050	16105.0
Total					**8957802**	**895780.2**

भाग 2 (ब)

प्रस्तर सं-04 अप्रस्तुत फॉर्म -11 के विरुद्ध विक्रय पर रियायती दर का लाभ लिए जाने के फलस्वरूप कर का न्यूनारोपण ` 16.53 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 25-क के प्रावधानों के अनुसार स्वत: कर निर्धारण हेतु कर में रियायती / रिबेट सम्बन्धी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क० नि०) -03 राज्य कर हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि व्योव्हारी सर्वश्री माँ गयेत्री ओफसेट प्रिंटर्स ज्वालापुर, हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के वाद में व्योव्हारी का कर निर्धारण स्वत: कर निर्धारण योजना के तहत निस्तारित किया गया था|

व्योव्हारी की पत्रावली की आगे लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि व्योव्हारी द्वारा सांगत वर्ष में 03% के रियायती दर से कुल ` 1,57,45,677/- की प्रांतीय बिक्री की गयी थी जिसके समर्थन में पत्रावली पर आवश्यक घोषणा पत्र (फॉर्म – 11) उपलब्ध नहीं था|

इस प्रकार अप्रस्तुत फॉर्म -11 के भाव में रियायती दर से कर का लाभ लिए जाने के फलस्वरूप 10.5% (13.5% - 3%) के अन्तरीय कर से ` 16,53,296/- के कर का न्यूनारोपण हुआ|

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार जाँच किये जाने का आश्वसान दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

प्रकरण विभाग के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

STAN

प्रस्तर सं-01 इनपुट टैक्स का रिवेर्से न किया जाना `0.77 लाख तथा अर्थदंड का अनारोपण|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा -6(8)(3) के अनुसार अनुसूची III में विनिर्दिस्त वस्तुओ के प्रांतीय क्रय पर ITC अनुमन्य नहीं होगा साथ ही धारा -58(i)(xi) के अनुसार ITC के लाभ के रूप में गलत दावा करने या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर ITC के लाभ का दावा करने पर दवाकृत राशि का तीन गुना धनराशी के अर्थदंड का प्रावधान है|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –III राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच मैं पाया गया कि व्योवहारी सर्वश्री ऍमo टेक इक्विपमेंट, बहादराबाद, हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2013-14 टिन **–05006984704** द्वारा ` **1,89,384/-** के ITC का दावा किया गया था जिसमें `3,86,869/- के लुब्रीकेंट्स के प्रांतीय क्रय पर 20% की दर से ` **77374/-** का ITC भी शामिल है, जो नियमानुसार अनुमन्य नहीं था इस प्रकार ` 77374 /- का ITC रिवेर्से योग्य था साथ ही नियमानुसार अर्थदंड आरोपणीय था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि नियमानुसार ITC का लाभ कर योग्य वस्तुओ पर दिया गया है| उत्तर मान्य नहीं था कर निर्धारण आदेश से स्पष्ट है कि लुब्रिकेंट की क्रय पर ITC अनुमन्य किया गया था|

प्रकरण विभाग को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया गया| जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT/25/2017-18	-	01,02,03	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-III, राज्यकर, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री वीर सिंह	उपायुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-III, राज्यकर, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र